

प्रेषक,
निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
श्री राज नारायान शिक्षा संस्थान प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
बनारसीपुर कठिरावा
वाराणसी।

पत्रांक: 530 / टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति लखनऊ : दिनांक : 21-5-14 2013

विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 05-3-2012 पर दिनांक 24-08-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्घरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-05/3/12 SIRI-25-07-12 SIRII-29-08-12 W.e.f. Aug 2012
DGET-6/24/13/2012 -TC DATED 24/08/2012				

प्रयोग किये गये सकते:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारधर्म
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियाँ/त्रुटियाँ का निराकरण समयावधिगत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(सिद्ध देव)

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)

पत्रांक : / टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति/ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्षु)वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि यह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।

310

विभाग: निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र सं: प्रधानाचार्य/प्रबन्धक श्री राज नारायण शिखर सरस्वती प्रोवेंट प्रोटेक्टिव, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनारसीपुर कटिहार, वाराणसी।

संख्या: 629/टी-3/रा040/भा0सं0संस्तुति

तारीख: दिनांक

21/5/14

विषय: स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक कंपनियों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्ध प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय संलग्न एवं प्रशिक्षण डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित स्थायी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ: उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 05-3-2012 पर दिनांक 25-09-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजना एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उपर निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायकार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए सख्तान/केंद्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अनुक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-05/3/12 SIRI-25-07-12 SIRII-29-09-12 W.e.f Aug 2012

DGET-6/24/13/2012-TC DATED 25/09/2012

प्रयोग किये गये संकेत-

- (1) एए0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-किागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारसमीक्षा
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतवाई गई कमिटी/युनिटों का निराकरण समयांतरगत करके अपनी अद्यत विन्दुवार सूची सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलम्ब प्रेषित करें। ताकि अधिम कार्यवाही की जा सके।

टिप्पणी - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अधिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(सुब्रह्मण्य रेड्डी)
अपर निदेशक (प्रशि/सिख)

पत्र सं:

/टी-3/रा040/भा0सं0संस्तुति/

सदरदिनांकित

- 1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं अवगतक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
राज्य निदेशक (प्रशि/सिख) वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि यह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
- 2. संबंधित संस्थान/केंद्र को भी व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 3. मार्ग फाइल हेतु।
- 4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

(सुब्रह्मण्य रेड्डी)
अपर निदेशक (प्रशि/सिख)